


आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक एवं दिनांक
25-07-23	<p style="text-align: center;">रामसिंह बनाम उम्मेद सिंह आदि</p> <p>प्रार्थी (वादी) द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी मय धारा 152 सीपीसी का प्रस्तुत होने पर पत्रावली को आज पेशी पर तलब किया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 26.04.2023 को पारित किया गया जिसमें लिखित टंकण त्रुटियां हो गई है। निर्णय के पृष्ठ संख्या 01 के दूसरे पैरा के अंतिम पंक्ति में गलती से रकबा 0.0100 है0 के स्थान पर 1.0100 है0 टाईप लिखा गया और यही त्रुटि डिक्री में भी की गई है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र, निर्णय, डिक्री व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित रकबा 0.0100 है0 के स्थान पर 1.0100 है0 लिखा गया जो कि प्रमाणित है को दुरुस्त किया जाना उचित है। निर्णय व डिक्री में रकबा 1.0100 है0 टंकित किया गया जो उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा निर्णय व डिक्री में रकबा 1.0100 है0 के स्थान पर 0.0100 है0 दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय व डिक्री में लाल स्याही से दुरुस्ती नोट अंकित किया जावे। शेष निर्णय व डिक्री यथावत रखी जाती है। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> ए. सी. ई. एम. (फ. दे.) नवलगढ</p>	



न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी - दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 181/2020 & GCMS NO. 2021/28

दायर दिनांक-22.09.2020

रामसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत निवासी चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. उम्मेद सिंह पुत्र लादूसिंह
2. गुमान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
3. ज्ञान सिंह पुत्र लादू सिंह
4. भगवान सिंह पुत्र लादू सिंह
5. रिछपाल सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
6. राजस्थान-सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान।
7. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू
-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री अमर सिंह शेखावत
वकील प्रति. नं. : - श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य

दावा : बाबत विभाजन

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 26-04-2023

वाद वादीगण दिनांक 28-12-2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./505 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादी अधिवक्ता द्वारा सहमति जाहिर की गई। फलस्वरूप वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वाके राजस्व ग्राम पहाड़िला पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 143 रकबा 4.23 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	सुरेश कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी साकिन देह खातेदार काशतकार।	143/2	1.0550	-
2	गुमान सिंह, रिछपाल सिंह पिता प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/3, उम्मेद सिंह ज्ञान सिंह, भगवान सिंह पिता लादूसिंह हिस्सा 2/3 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काशतकार।	143/1	3.1650	-
3	गुमान सिंह, रिछपाल सिंह पिता प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/4, उम्मेद सिंह, ज्ञान सिंह, भगवान सिंह पिता लादू सिंह हिस्सा 1/2, सुरेश कंवर पत्नी रामसिंह	143/3	1.0100	-

ए. सी. ई. एम्. (फा. दे.)
नवलगढ़

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

♀

(दमयंती कंवर)

सहायक न्यायाधीश (फा. ट्रे.)
नवलगढ़ नवलगढ़ जिल्ला

नोट : निर्णय दिनांक 25/7/23 के अन्तर्गत प्राप्त अन्तर्गत द्वारा 152 CPC के फलस्वरूप निर्णय से पृष्ठ संख्या 01 के अंतिम पंक्ति में रकबा 1.0100 ई० के रूबान पर 0.0100 ई० दुरुस्त किया जाता है।

♀

ए. सी. ई. एम्. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)नवलगढ

मुकदमा नम्बर 181/2020 & GCMS NO. 2021/28

दावा : बाबत विभाजन

(रामसिंह बनाम उम्मेद सिंह आदि)

अन्तिम डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब - मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26.04.2023 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वाके राजस्व ग्राम पहाडिला पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 143 रकबा 4.23 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	सुरेश कंवर पत्नी रामसिंह जाति राजपूत निवासी साकिन देह खातेदार काशतकार।	143/2	1.0550	-
2	गुमान सिंह, रिछपाल सिंह पिता प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/3, उम्मेद सिंह ज्ञान सिंह, भगवान सिंह पिता लादूसिंह हिस्सा 2/3 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार काशतकार।	143/1	3.1650	-
3	गुमान सिंह, रिछपाल सिंह पिता प्रहलाद सिंह हिस्सा 1/4, उम्मेद सिंह, ज्ञान सिंह, भगवान सिंह पिता लादू सिंह हिस्सा 1/2, सुरेश कंवर पत्नी रामसिंह	143/3	1.0100 0.0100	ए.सी.ई. एम्. (फा. ट्रे.) नवलगढ

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बशरखस मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.04.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
नवलगढ जिला नवलगढ

नोट :- सां. पत्रा 152 CPC के निर्णय दिनांक 25/4/23 के अनुसरण में पैरा दूसरे की अंतिम पंक्ति में रकबा 1.0100 हे० के स्थान पर 0.0100 हे० दुरुस्त किया जाता है।

ए.सी.ई. एम्. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़

Reader

26

11/3/23

क्रमांक/भू.अ./2021/505

दिनांक 03-03-2023

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

विषय :- मु.न. 181/2020 उनवानी रामसिंह वनाम 3म्मेदासिंह में
विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान जी का पत्रांक /राजस्व/22/26 दिनांक 02-02-2023

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मु.न. 181/2020 उनवानी रामसिंह वनाम
3म्मेदासिंह में मुताबिक निर्णय दिनांक — के विभाजन प्रस्ताव तैयार
करवाकर संलग्न सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न—उक्तानुसार


तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

L.R.
22/11
03/03/23

24

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं न्यायालय सहायक (नाम) तहसीलदार नवलपरा, न्यायालय सहायक
कलेक्टर/उपरखण्ड अधिकारी, नवलपरा के आदेश क्रमांक 2.6
दिनांक 2.2.2023 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु
आज दिनांक समय बजे आराजी खसरा नम्बर-143
वाके ग्राम पहाड़ी पट्टवार हल्का मिर्जापुर पर श्री सुरेश कर्ण
नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पट्टवारी के साथ मौके पर
पहुंचा। रामसिंह कर्ण उपस्थित

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपरखण्ड अधिकारी, नवलपरा में विचाराधीन
प्रकरण संख्या-101/2020 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से
नोटिस क्रमांक दिनांक द्वारा जारी किये गये थे
जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके
पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1	सुरेश कर्ण	परिण रामसिंह	48	राजपूत	वादी की पत्नी
(2)	रामसिंह	डॉ. ग. पट्टवार	55	-	वादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का सुआयना मौका किया गया एवं
राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) निगम-1955 के नियम-18 से 21
के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-


क्र.सं.	नाम (वातदार)	ख. नं०	रकबा	मि. ए. फु.
(1)	सुरेश कर्ण परिण रामसिंह जाति राजपूत	$\frac{143}{2}$	1.0550	-
		कुल	1.0550	

P.T.O

क्र. सं.	नाम वारंदात	ए. म.	रकम
(2)	गुमानसिंह रिधपालसिंह सिंह फुलदास सिंह छि. 1/3 उमरसिंह ज्ञानसिंह भगवानसिंह सिंह लाडूसिंह छि. 2/3 जयंत राजपूत का देह	143 1	3.1650
	वारंदात	क्रमा - 1	3.1650

(3)	गुमानसिंह रिधपालसिंह सिंह फुलदाससिंह छि 1/4 उमरसिंह ज्ञानसिंह भगवानसिंह सिंह लाडूसिंह छि 1/2 सुरेश कंवर पति रामसिंह छि.	143 3	0.0100
		क्र - 1	0.0100

गुमानजी चालू जमाखत्री व सोके अन्वहार विभाजन फलदाय
मय नखत्री नकसा अन्वहार तयार कर सेवाये पेश है।



Not- म. नं. 181/2020 में अक्रिये वाली रामसिंह के नाम लू
जमाखत्री में वारंदाती अलग गयी है। इनका हिस्सा सुरेशकंवर
पति रामसिंह के नाम पर रखा है।

(Signature)
गोविन्द
सिंह

(Signature)
मू. अ. जयसिंह
वृत्त- चिसना
तह. नवलगढ़ (मू.) 2023

५

(Signature)
तहसीलदार (मू.अ.)
नवलगढ़

143
3-1650
2023

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिराजों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
(1)	सुरेशकांत पटेल	राजप्रसिद राजपूत	सुरेशकांत		प्रतिवादी
(3)	राजप्रसिद	सहलादसिद	राजपूत		वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
(1)	खिड़कूराम	प्राला राम	55	माली	9059850617
(3)	हरदयालसिद	किशोरसिद	42	राजपूत	9587766340

इस प्रकार आज दिनांक 1.3.2023 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।


हस्ताक्षर
पटेल
प. मं.

हस्ताक्षर
भ. अ. निरक्षक
वृत्त: चिराना
तह. नवलगढ़ (सु.)

तहसीलदार (मू.अ.)
नवलगढ़
03/03/2023

नकल - नाममा
 ग्राम - पहाडिला.
 पद - चिराना
 तह - नवलगढ

२३



मा मा मा सिद्ध व
 नवलगढ सिद्ध व

साभलाली वरत
 143/2

सुरेशकांठ
 साभलाली

[Signature]
 01/07/2023
 [Signature]

१

[Signature]
 तहसीलदार (भू.अ.)
 नवलगढ